फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

पोखर बनाम जमना (कोया)

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 111-128 नं० 92 सन् 2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.6.23	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28.6.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल	
28/6/23	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान एवं महंगाई राहत कैम्प 2023 ग्राम पंचायत माण्डल में पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रपत्र से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हु[illegible]चन्द [illegible]ोहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023	

राजस्थान –सरकार

प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 92/23 प्रा०पत्र

1- पोरवर S/o श्री गोकल बैरवा निवासी- कोटडी तहसील- भीलवाडा.

–प्रार्थी

बनाम

1- जमना D/o श्री मोहन बैरवा निवासी- कोटडी तहसील- भीलवाडा (रा०) (बैरवा)
(हस्ताक्षरित प्रा०पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक: 28.06.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पीथास ....पटवार हल्का पीथास ....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी 2933/1611, 2935/2711 ....कुल किता 0.2 ....रकबा 0.2782 ....हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतादायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.06.23 ....को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पीथास ....पटवार हल्का पीथास ....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी 2933/1611, 2935/2711 कुल किता ....0.2 ....रकबा 0.2782 ....हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक पीथास ....को 500-/-.....रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023